न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 52/2016 RCMS No.—2016/00027

प्रकाश चन्द महरवाल पुत्र स्व. श्री चिरंजीलाल महरवाल, जाति महाजन, उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट आंधी, उप तहसील आंधी, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

उप तहसीलदार, उप तहसील आंधी, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

..... रेस्पाडेन्ट

विरूद्व आदेश उपतहसीलदार उप तहसील आंधी दिनांक 30.09.2015 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम प्रकाश प्रकरण संख्या 107/2015 अर्न्तगत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956।

उपस्थितः–

1. श्री शिव शंकर शर्मा व पं. राजेन्द्र डांगरवाडा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

निर्णय दिनांकः 29.11.2018

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि उप तहसीलदार आंधी, तहसील जमवारामगढ ने अपने निर्णय दिनांक 30.09.2015 से अपीलांट द्वारा ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ स्थित आराजी खसरा नम्बर 673 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर सम्वत् 2072 में अवैध कब्जा कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट को अतिचारी मानकर उक्त आराजी गै.मु.रास्ता भूमि से बेदखल करने, वार्षिक लगान की 0.01 रूपये का 50 गुना एक रूपये बतौर शास्ति आरोपित कर वसूल करने तथा अतिक्रमी अपीलांट को बेदखल करने के आदेश दिये गये। अपीलांट्स ने उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया, कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय अपीलांट्स के विरूद्ध पारित किया है, वह वास्तविक तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज काबिल है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस प्राप्त होने पर अपीलांट ने

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

उपस्थित होकर अपना विस्तृत जवाब उप तहसीलदार आंधी के समक्ष अपने जवाब के साथ विधिसम्मत दस्तावेज ग्राम पंचायत आंधी द्वारा जारी भू विक्रय विलेख दिनांक 16.12.1968 तथा उक्त भूमि विक्रय विलेख के अनुसार अपीलांट द्वारा अपने हक में करवाया विक्रय पत्र दिनांक 24.03.2015 प्रस्तुत किया जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व उक्त आदेश पारित करते हुए अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए अपीलांट को विधिसम्मत काबिज भूमि से बेदखल करने के आदेश प्रदान किए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब को सही प्रकार से उल्लेखित नहीं कर कानूनी भूल की है, एवं ना ही अपीलांट के जवाब संबंधी उल्लेलख अपीलाधीन आदेश में किया है। अपीलांट द्वारा किसी राजकीय भूमि पर कब्जा नहीं किया है। अपीलांट द्वारा अपने स्वामित्व व आधिपत्य के समस्त वैधानिक दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये थे जिसमें ये स्पष्ट है कि अपीलांट की दुकान ग्राम पंचायत द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेख दिनांक 16.11.1968 के अनुसार स्थित है, विवादित भूमि पर अपीलांट वर्षो से काबिज है। विवादित भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी माना गया है जो विधि विरूद्व है। विवादित भूमि का पट्टा लल्लूप्रसाद पुत्र रामदयाल महरवाल को ग्राम पंचायत आंधी द्वारा जारी किया गया था जिस पर लल्लूप्रसाद द्वारा विवादित भूमि का विक्रय अपीलांट के हक में दिनांक 24.03.2015 को किया गया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के मालिकाना हक के विधिसम्मत दस्तावेज पेश करने के बावजूद न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विपरीत आदेश दिनांक 30.09.2015 पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली कमांक 107/15 उनवानी सरकार बनाम प्रकाश में दिनांक 30.09.2015 को पारित निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलांट का विवादित गै.मु.रास्ता पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज है। अपीलांट के विरूद्व धारा 91 के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जाकर गै.मु. रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण होने से अपीलांट को विवादित भूमि से बेदखली के आदेश दिनांक 30.09.2018 को पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश दिये है, वह उचित है। अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का सम्वत् 2072 में ग्राम आंधी तहसील जमवारामगढ स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 673 गै.मु.रास्ता के

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

रकबा 0.01 हैक्टेयर पर अवैध रूप से अतिक्रमण/कब्जा होने की पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। अपीलांट्स अधिवक्ता का तर्क मान्य है कि अपीलांट के द्वारा पेश किये गये दस्तावेज एवं जवाब का अधीनस्थ न्यायालय गौर नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नोटिस दिया जाने पर अपीलांट द्वारा नोटिस का जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा दिये गये जवाब/साक्ष्य का विवेचन अपने निर्णय में नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के जवाब का भलीभांति अवलोकन नहीं किया गया, जो न्यायोचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, आंधी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2015 प्रकरण संख्या 107/2015 को निरस्त करते हुये प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** की जाता है कि प्रकरण में अपीलार्थी की सुनवाई की जाकर, अपीलार्थी को साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करे एवं विवादित भूमि की नपती करवाई जावे। यदि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट को अतिक्रमी पाया जाता है तो अपीलांट के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जावे। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, आंधी की मिसल निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर